साइबर क्राइम पुलिस थाना, वाराणसी, कमिश्नरेट वाराणसी।

रिजर्व पुलिस लाइन , जनपद- वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारत पिन नं.- 221002

सी.यू.जी. नं.-7839876647 **ई-मेल- sho-cybercrime.va@up.gov.in**

प्रेस नोट दिनांक-22.07.2024

विषयः-

KIA MOTORS की एजेंसी दिलाने के नाम पर लगभग 72 लाख रूपये की साइबर धोखाधड़ी करने वाले गैंग के सरगना सहित 06 अन्तर्राज्यीय साइबर अपराधी गिरफ्तार, सम्बन्धित फर्जी कागजात, मोबाइल, नगदी आदि बरामद।

आवेदक श्री तेजश्वी शुक्ला निवासी गौरीगंज, थाना -भेलूपूर ,वाराणसी, उत्तर प्रदेश द्वारा साइबर क्राइम पुलिस थाना वाराणसी में प्रार्थना पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया गया कि उनके साथ अज्ञात साइबर अपराधियो द्वारा KIA MOTORS कम्पनी के नाम से फर्जी बेवसाइट/ईमेल के माध्यम से एजेन्सी दिलाने के नाम पर कुल करीब 72 लाख रुपये की साइबर ठगी कर ली गयी है जिस पर थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. – 0063/2024 धारा- 417, 420, भा.द.वि. व 66 डी. आई.टी. एक्ट पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।

उक्त प्रकरण के गंभीरता के दृष्टिगत पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी श्री मोहित अग्रवाल के निर्देशन में पुलिस उपायुक्त (अपराध) श्री चन्द्रकान्त मीना द्वारा घटना का सफल अनावरण हेतु टीम का गठन किया गया। जिसके पश्चात् अपर पुलिस उपायुक्त (अपराध) श्री सरवणन टी. व सहायक पुलिस आयुक्त(अपराध) श्री गौरव कुमार द्वारा नेतृत्व करते हुए प्रभारी निरीक्षक साइबर क्राइम थाना श्री विजय नारायण मिश्र की अगुवाई में साइबर क्राइम थाना वाराणसी टीम द्वारा इलेक्ट्रानिक सर्विलांस व डिजिटल फूटप्रिंट, ओपेन सोर्स इंटेलिजेंस टूल आदि की मदद से उक्त घटना में शामिल गैंग के सरगना सहित 06 साइबर अपराधियो को वाराणसी से गिरफ्तार किया गया।

अपराध करने का तरीकाः-

अभियुक्तगण के द्वारा सामूहिक रुप से मुकदमा उपरोक्त में आपराधिक षडयन्त्र के तहत योजनापूर्वक KIA MOTORS कम्पनी के नाम की फर्जी वेबसाइट/ईमेल बनायी गई तथा इस बेवसाइट/ईमेल के माध्यम से वादी मुकदमा को अपने झांसे में फसाने के लिए KIA MOTORS कम्पनी के फर्जी REPRESENTATIVE बनकर एजेन्सी दिलाने के बाबत फर्जी व कूट रचित दस्तावेज जैसे इनलिस्टमेन्ट लेटर, इन्टेन्ट लेटर आदि भेजा गया तथा तथाकथित KIA MOTORS कम्पनी के बैंक खाते में रजिस्ट्रेशन फीस, सिक्योरिटी मनी, जीएसटी फीस आदि का हवाला देते हुए पैसा विभिन्न खातों में डलावाया गया जिसका फर्जी KIA MOTORS COMPANY के लेटर हेड पर फर्जी INVOICE भेज कर वादी मुकदमा को अपने झांसे में लेकर साइबर ठगी की गयी। अभियुक्तगण द्वारा यह कार्य योजनबद्ध तरीके से आपराधिक षडयंत्र के तहत शामिल रहकर अपना अपना कार्य जैसे वेवसाइट /ई-मेल से लीड प्राप्त करना, पीड़ितो को काल करना, फर्जी सिम व म्यूल बैंक खातों का प्रबन्ध करना व इंटरनेट बैंकिंग का संचालन कर पैसे ट्रासफर करना , ए.टी.एम. के माध्यम से निकासी करना आदि किया गया है। ठगे गये पैसों को अपने कार्य अनुसार आपस में बांट लिया गया है , अभियुक्तगण काफी शातिर किस्म के चालाक व तकनीकि रूप से दक्ष व अभ्यस्थ साइबर अपराधी है तथा साइबर अपराध करने के तौर तरीको से भली भाति परिचित है, ये लोग अपनी पहचान छिपाने व पुलिस के पहुंच से दूर रहने के उद्देश्य से फर्जी सिम कार्ड व म्यूल बैंक खातों का प्रयोग करते है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1 - दीपक कुमार पुत्र राजकिशोर प्रसाद उम्र- 21 वर्ष निवासी- दशरथपुर, पोस्ट- पावापुरी, थाना- गिरियक , जिला -नालन्दा बिहार पिन नं.- 803115, स्थायी पता- ग्राम पलटपुर, पो0 कटौना, थाना कतरी सराय, जनपद- नालंदा बिहार।

2- प्रभाकर कुमार उर्फ चिकू पुत्र जितेन्द्र प्रसाद उम्र- 26 वर्ष निवासी- दशरथपुर, पोस्ट- पावापुरी, थाना- गिरियक ,जिला -नालन्दा बिहार पिन नं.- 803115।

3- हिमांशु राज पुत्र कृष्ण कुमार उम्र- 19 वर्ष निवासी- सरबहदी, पोस्ट- सरबहदी, थाना -मानपुर , जनपद- नालन्दा बिहार पिन- 803107।

4- सौरव कुमार पुत्र रंजीत प्रसाद उम्र- 22 वर्ष निवासी- दशरथपुर, पोस्ट- पावापुरी, थाना- गिरियक ,जिला -नालन्दा बिहार पिन नं.- 803115

5- आलोक कुमार पुत्र मृत्युन्जय कुमार उर्फ सुनील उम्र- 23 वर्ष निवासी- दशरथपुर, पोस्ट- पावापुरी, थाना- गिरियक ,जिला -नालन्दा बिहार पिन नं.- 803115

6- अभिषेक कुमार उर्फ छोटू पुत्र संजय प्रसाद उम्र-18 वर्ष निवासी- रघु बिगहा, पोस्ट- सबैत, थाना -नालन्दा, बिहार पिन- 803111

गिरफ्तारी/हिरासत पुलिस का स्थान- साइबर क्राइम पुलिस थाना वाराणसी।

आपराधिक इतिहास –

मु.अ.सं.- 0063/2024 धारा- 417,420,120बी,465,468,471, 411 भादवि व 66 सी, 66 डी, 74 आई.टी. एक्ट, साइबर क्राइम पुलिस थाना वाराणसी।

मु.अ.सं. - 652/2023 धारा- 419,420 भादवि. में थाना पत्रकार नगर, पटना, बिहार (सौरव ,आलोक)।

बरामदगी का विवरणः-

मल्टीमीडिया एण्ड्राइड/आईओएस मोबाइल फोन - 16 अदद (कीमत करीब 10 लाख रूपये)।

इंटरनेट डोंगल - 01 अदद,

पेमेन्ट इन्वाइस की प्रति सम्बन्धित किया मोटर्स कम्पनी (फर्जी व कूट रचित) -03 अदद,

इंटेन्ट लेटर व इनलिस्टमेन्ट लेटर सम्बन्धित किया मोटर्स कम्पनी (फर्जी व कूट रचित) -01 अदद

पी.एन.बी. बैंक डेबिट कार्ड – 01 अदद।

वी.आई. कंपनी का सिम कार्ड – 02 अदद।

मुकदमा उपरोक्त से संबन्धित नगदी- 30900 **रूपये।**

पुलिस टीम का विवरणः-

श्री विजय नारायण मिश्र - प्रभारी निरीक्षक	निरीक्षक श्री राज किशोर पाण्डेय
निरीक्षक राकेश कुमार गौतम	निरीक्षक अनीता सिंह
हे.का./क.आ. श्याम लाल गुप्ता	उप निरीक्षक सतीश सिंह
हे.का. आलोक कुमार सिंह	उप निरीक्षक नीलम सिंह
हे.का. प्रभात कुमार द्विवेदी	हे.का. गोपाल चौहान
हे.का. गौतम कुमार	हे.का. रविकान्त जायवाल
का. चन्द्रशेखर यादव	का. देवेन्द्र कुमार
का. दिलीप कुमार	का. पृथ्वी राज सिंह
का. अवनीश सिंह	का. अनिल कुमार यादव
का. पुनीता यादव	का. प्रीति सिंह
का.अंकित कुमार प्रजापति	

नोटः- उपरोक्त मुकदमें के गिरफ्तारी में सर्विलांस सेल, कमिश्नरेट वाराणसी की भी भूमिका रही।

प्रभारी निरीक्षक
साइबर क्राइम पुलिस थाना,
कमिश्नरेट वाराणसी।